तटस्थ उद्धरण संख्याः2023/डीएचसी/001525

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः 28 फरवरी, 2023

रि.या.(सि.) 6929/2022 और सि.वि.आ. 21171/2022

अर्थ लाकरा (नाबालिग) ...याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री एन.के. उपाध्याय और श्री देवेन्द्र कुमार, अधिवक्तागण (फ़ो. 8700781690, 9999093458)

बनाम

इन्द्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल व अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री कमल गुप्ता, श्री स्पर्श अग्रवाल और सुश्री परिधि बिस्ट, प्रत्यर्थी विद्यालय के लिए अधिवक्तागण (फ़ो.9953116031, ईमेल:kamalguptaandcompany@gmail.com)

श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, स्था.अधि. (सि.), रा.रा.क्षे.दि.रा.सर. शिक्षा निदेशालय के लिए के साथ श्री प्रद्युम्न राव, श्री तपेश राघव, सुश्री महक रणकावत, श्री कार्तिक शर्मा, सुश्री मेहक रणकावत और श्री उत्कर्ष सिंह, अधिवक्तागण (फ़ो. 9129829862, ईमेलःscgnctd@gmail.com) के साथ|

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मिनी पुष्करना

[भौतिक सुनवाई/हाइब्रिड मोड से सुनवाई]

<u>न्या., मिनी पुष्करना (मौखिक):</u>

1. वर्तमान रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि प्रत्यर्थी विद्यालय को याचिकाकर्ता बच्चे को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/वंचित समूह (डीजी) की श्रेणी में प्रवेश देने के लिए निर्देश दिया जाए|

2. इस न्यायालय ने दिनांक 01.06.2022 के आदेश द्वारा एक अंतरिम निर्देश पारित किया था जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी विद्यालय में प्रवेश दिया गया था|

3. याचिकाकर्ता के साथ-साथ विद्यालय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि बच्चा जून, 2022 से विद्यालय में पढ़ रहा है|

4. इस न्यायालय ने दिनांक 01.06.2022 के आदेश द्वारा बच्चे को अंतरिम प्रवेश प्रदान करते हुए निर्देश दिया था कि विद्यालय द्वारा उठाई गई आपत्ति पर शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा जाँच की जाए कि याचिकाकर्ता मकान सं. 8, पोल सं. 21A, शिव हनुमान मंदिर, मुंडका, दिल्ली-110041 का निवासी है और दिए गए पते अर्थात जीएच-1/346, पहली मंजिल, अर्चना अपार्टमेंट, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063 पर नहीं रह रहा था| इस प्रकार, विद्यालय की ओर से यह आपत्ति थी कि याचिकाकर्ता का निवास 0-1 कि.मी. के दायरे में नहीं था और इसलिए वह उक्त विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए योग्य नहीं था|

5. इस न्यायालय के दिनांक 01.06.2022 के निर्देशों के अनुसरण में शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा एक जाँच की गई है|

6. श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, स्थायी अधिवक्ता (सिविल), रा.रा.क्षे.दि.रा.सर. शिक्षा निदेशालय (डीओई) की ओर से पेश होते हुए शिक्षा निदेशालय (डीओई) से प्राप्त एक रिपोर्ट पर भरोसा जताते हैं जिसमें यह पुष्टि की गई है कि याचिकाकर्ता पश्चिम विहार में दिए गए पते पर रह रहा है|

7. स्थायी अधिवक्ता श्री संतोष कुमार त्रिपाठी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत जाँच स्थानीय सरकारी विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य द्वारा की गई है| इस प्रकार, शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता अपने परिवार के साथ पश्चिम विहार में रह रहा है| रा.रा.क्षे.दि.रा.सर. के विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता बच्चे के पिता का आधार कार्ड भी पश्चिम विहार का पता दर्शाता है|

8. इस प्रकार, शिक्षा निदेशालय (डीओई) की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता का पश्चिम विहार में उनके आवासीय पते के संबंध में तर्क सही है|

9. श्री कमल गुप्ता, प्रत्यर्थी सं. 1 विद्यालय के विद्वान् अधिवक्ता ने रिपोर्ट पर जोरदार आपत्ति जताई है जिस पर शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा भरोसा किया गया है| वह प्रस्तुत करता है कि शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा की गई जाँच एक दुस्संधिपूर्ण जाँच है| वह प्रस्तुत करते हैं कि दो परिवार कथित रूप से बिना किसी किराए के भुगतान के एक ही एमआईजी फ्लैट में रह रहे हैं| इसके अलावा, वह कहते हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) का प्रमाण पत्र भी याचिकाकर्ता का पता मुंडका में

दिखाता है ना कि पश्चिम विहार में जो नवीनतम आवासीय पते का प्रमाण था| वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि विद्यालय शिक्षा निदेशालय (डीओइ) की रिपोर्ट को चुनौती देने का अपना अधिकार रखता है|

10. इस न्यायालय ने पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है|

11. यह न्यायालय प्रश्नगत बच्चों के निवास के संबंध में विद्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में किसी भी तथ्य को खोजने के मिशन में नहीं जा सकता है| अन्यथा भी, ओबीसी/अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाणपत्र को कभी भी निवास का प्रमाण नहीं माना जाता है| यह न्यायालय शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर भरोसा करेगा जो स्थानीय सरकारी विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य द्वारा की गई जाँच के आधार पर प्रस्तुत की गई है| शिक्षा निदेशालय (डीओई) एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसका अपने द्वारा प्राप्त मान्यता वाले विद्यालयों पर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है| प्रथमदृष्टया, शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा किए गए जाँच कार्य की सत्यता पर संदेह करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है| यहां तक कि बच्चे के पिता के आधार कार्ड में भी दिया गया पता पश्चिम विहार, नई दिल्ली दर्शाता है|

12. यह भी ध्यान देना उचित है कि बच्चा वर्ष 2022 से विद्यालय में पढ़ रहा है|

13. यदि इस न्यायालय को विद्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों के आधार पर बच्चों के निवास के संबंध में शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा की गई संवीक्षा और जाँच के कार्य की वास्तविकता पर संदेह है, तो कई बच्चे ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत प्रवेश से वंचित हो जाएंगे| इससे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई, 2009) के

प्रावधानों का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा| शिक्षा निदेशालय (डी.ओ.ई.) द्वारा किए गए जाँच और संवीक्षा के वास्तविक तथ्यों का न्यायालय प्रतिग्रहण करेगा जब तक कि किसी सुस्पष्ट विसंगति को सामने नहीं लाया जाता है| अन्यथा भी, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अच्छी शिक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के महान उद्देश्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है|

14. यह न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान देता है कि डीजी श्रेणी के तहत, आय मानदंड नहीं है लेकिन एकमात्र मानदंड यह है कि क्या बच्चा किसी अनुसूची जाति/अनुसूची जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है|

15. शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा विद्यालय के आवंटन के बाद भी ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत एक विद्यालय द्वारा प्रवेश से इनकार करना, आरटीई अधिनियम, 2009 के महान उद्देश्य को विफल करता है| यह ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी से संबंधित बच्चों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21-क के तहत निहित है और आरटीई अधिनियम, 2009 के उद्देश्य को भी क्षति पहुंचता है|

16. इसे ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है और यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता बच्चा प्रत्यर्थी विद्यालय में ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत पढाई जारी रखेगा|

17. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने याचिकाकर्ता बच्चे के पक्ष में एक रिपोर्ट दी है कि वह अपने परिवार के साथ पश्चिम विहार में दिए गए पते पर रह रहा है, जो कि प्रत्यर्थी विद्यालय से एक किलोमीटर के भीतर है, जो विद्यालय की ओर से उठाई गई एकमात्र आपत्ति थी, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता बच्चा जो जून, 2022

से पहले से ही विद्यालय में पढ़ रहा है, उसे ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत उक्त विद्यालय में पढ़ना जारी रखने की अनुमति दी जाए|

न्या.,मिनी पुष्करना

28 फरवरी, 2023
पी.बी.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*